

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:-स.6(3)आ.एवं क./आरपीबीएफ/छात्रवृत्ति/2021-22/ 4861

दिनांक:-27/9/21

परिपत्र

राजस्थान पुलिस हितकारी निधि (Benevolent fund) से छात्रवृत्ति

राजस्थान पुलिस बेनेवोलेंट फण्ड से पुलिसकर्मियों के बच्चों को शिक्षा सत्र 2021-22 के लिए छात्रवृत्ति दिये जाने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। सम्बन्धित कार्यालयों में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि दिनांक 24.12.2021 है। यदि कोविड-19 के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 की परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं हुई हो अथवा परीक्षा आयोजित होकर परिणाम घोषित नहीं हुआ हो तो ऐसी स्थिति में भी निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर दिया जावे ताकि उन आवेदन पत्रों को लम्बित रखकर, परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त उनका निर्णय किया जा सके। आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जा सकेगा।

छात्रवृत्ति/पुरस्कार की दरें:-

(A) सामान्य पाठ्यक्रम हेतु

क्र. सं.	स्तर	पाठ्यक्रम का नाम	छात्रवृत्ति राशि (रूपये)
1.	School	9 th & 10 th	3000
		11 th & 12 th	4000
2.	College	Under Graduate (All Faculty)	8000
		Post Graduate & M. Phil(All Faculty)	10000

(B) तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम एवं अन्य योग्यता

क्र. सं.	स्तर	पाठ्यक्रम का नाम	छात्रवृत्ति राशि (रूपये)
1.	Technical & Professional Grade. A	IIT/ IIM/ AIIMS/ SPA/ NSD/ IISc/ NLU/ NIFT	25000
		MBBS/ B.Tech/ B.E/ B.Arch./ MBA/ Master of computer application/ Bachelor of Laws (Integrated) Other Institute	25000
		BAMS/BHMS/B.V.Sc/BDS & ICWA	15000
2.	Technical & Professional Grade. B	Poly Tech. Dipolma/ B.Pharma/ BSc (Nursing)/ BPT/ BOT/ BSc (Agriculture)/ BCA/ BBA/ GNM/ D.Pharma/ D.Arch. & MSc (Bio Tech, Micro Biology & Bio chemistry)	10000
3.	Technical & Professional Grade. C	Master of Journalism and Mass Communication/ Master of Fine Arts/ LLB (TDC)/ MSc (Bio Informatics, Electronics, IT & Computer Sc) & BSc (Bio Tech, Micro Biology & Bio chemistry)	10000

av

4.	Technical & Professional Grade. D	B.ED/ BP.ED/ P.G Diploma (One Year)/ Bachelor of Journalism and Mass Communication/ BSc (Bio Infomatics, Computer Sc, Electronics, Nautical science & IT)	10000
		BSTC/ ANM/ ITI/ LSA (livestock assistant)	9000

(C) विशेष पुरस्कार

क्र. सं.	पुरस्कार	विवरण	छात्रवृत्ति राशि (रूपये)
1.	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना	किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत चयनित	25000
2.	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE)	राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE) में छात्रवृत्ति हेतु चयनित होने पर	25000
3.	मैरिट छात्रवृत्ति	दसवीं एवं बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में राज्य स्तरीय मैरिट में 10वें स्थान तक आने वाले	25000
4.	विशेष योग्यता पुरस्कार	दसवीं बोर्ड की परीक्षा में कुल प्राप्तांक 95 प्रतिशत से अधिक	10000
		बारहवीं बोर्ड की परीक्षा में कुल प्राप्तांक 95 प्रतिशत से अधिक	15000

(D) प्रोत्साहन छात्रवृत्ति

क्र. सं.	पुरस्कार	आरपीबीएफ के सदस्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पुत्रियों को	छात्रवृत्ति राशि (रूपये)
1.	School	कक्षा 8वीं एवं 9वीं में कुल प्राप्तांक 70 प्रतिशत या इससे अधिक	10000

1. आवेदन हेतु निर्धारित प्रपत्र

छात्रवृत्ति का विवरण	आवेदन हेतु प्रपत्र	स्वीकृतकर्ता अधिकारी
बिन्दु संख्या A की क्र.सं. 1 एवं 2 तक	प्रपत्र - 1	पैरा 4 में अंकित अधिकारीगण
बिन्दु संख्या B की क्र.सं. 1 एवं 4 तक	प्रपत्र - 1	अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान जयपुर
बिन्दु संख्या C की क्र.सं. 1 एवं 3 तक	प्रपत्र - 2	
बिन्दु संख्या D की क्र.सं. 1 के अनुसार	प्रपत्र - 1	

आवेदन पत्र के साथ प्रपत्र-3, 4 एवं 8 भी प्रस्तुत किया जाएगा।

2. आवेदन पत्रों का प्रेषण, परीक्षण एवं स्वीकृति हेतु अन्तिम तिथि

संबंधित कार्यालय द्वारा अपने नियंत्रण अधिकारी को प्रेषण हेतु	01.01.2022 तक
नियंत्रण अधिकारी कार्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों की जांच करने के पश्चात् सामान्य अध्ययन छात्रवृत्ति के स्वीकृति आदेश जारी करना	24.01.2022 तक
नियंत्रण अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश, तकनीकी एवं व्यावसायिक, विशेष योग्यता पुरस्कार, मैरिट छात्रवृत्ति, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना एवं पे-बैंड 5200-20200 एवं ग्रेड पे 1700 में वेतन प्राप्त करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पुत्रियों द्वारा कक्षा 8 व 9 में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर देय छात्रवृत्ति के आवेदन पत्रों को आयोजना एवं कल्याण शाखा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित करना।	31.01.2022 को सांय 6.00 बजे तक

3. आवेदन पत्रों की जांच/परीक्षण

विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित आर.पी.बी.एफ. सदस्यों के आवेदन निम्न कार्यालयों में परीक्षण किये जाएंगे:-

महानिदेशक पुलिस, होमगार्ड/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो/जेल/इन्टेलीजेन्स	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, रेल्वेज/आर्म्ड बटालियन्स/सीआईडी (सीबी)/ सीआईडी (आईबी)/ मुख्यालय/ एस. डी.आर.एफ./ आर.एच.आर.सी./ प्रशिक्षण/ए.टी.एस एवं एस.ओ.जी/ सिविल राईट्स एवं ए.एच.टी.	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
निदेशक, एस.सी.आर.बी./ राजस्थान पुलिस अकादमी/ पुलिस दूरसंचार/ एफ.एस.एल./राजस्थान इन्टेलीजेन्स ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, आबकारी निरोधक दल, उदयपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
समस्त महानिरीक्षक पुलिस रेंज	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी, जे.डी.ए. जयपुर/जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
उपायुक्त, सर्तकता, नगर निगम	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पी.सी.पी.एन.डी.टी. सेल	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सर्तकता, डिस्कॉम, जयपुर/ अजमेर/ जोधपुर	स्वयं का एवं अधीनस्थ कार्यालय
संबंधित पुलिस कमिशनर/जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य विभागों में पदस्थापित/अटैच आर. पी.बी.एफ. सदस्य

4. नियम/शर्तें/निर्देश:-

- आवेदन तिथि को अधिकारी/कर्मचारी का राज्य सेवा में होना आवश्यक है।
- आवेदन कर्ता अधिकारी/कर्मचारी की पिछले पांच वर्षों की चन्दा राशि जमा होने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी। इस आशय के लिए कार्यालय अध्यक्ष द्वारा संलग्न प्रपत्र-4 में प्रमाण-पत्र जारी कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जायेगा।
- छात्रवृत्ति वर्तमान में राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नियमित रूप से अध्ययनरत होने पर ही देय होगी जिसके प्रमाण स्वरूप संलग्न निर्धारित प्रपत्र-3 में संस्था का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। स्वयंपाठी व पत्राचार से अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- सी.ए. एवं इन्टर्नशीप नियमित अध्ययन नहीं होने के कारण छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- सामान्य पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं से 12वीं तक की छात्रवृत्ति हेतु गत कक्षा की परीक्षा में छात्र द्वारा न्यूनतम अंक 70 प्रतिशत एवं छात्रा द्वारा न्यूनतम अंक 60 प्रतिशत तथा शेष सभी पाठ्यक्रमों सामान्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक में गत कक्षा की परीक्षा में छात्र द्वारा 62 प्रतिशत एवं छात्रा द्वारा 55 प्रतिशत या इससे अधिक अंको से परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं उसकी अंकतालिका की प्रति के आधार पर अध्ययनरत कक्षा की छात्रवृत्ति देय होगी। प्रत्येक विषय में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त होना आवश्यक है, सानुग्रह या पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।

✓

पाठ्यक्रम का नाम	गत कक्षा की परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्रतिशत	
	छात्र	छात्रा
सामान्य पाठ्यक्रम (कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत हेतु)	70	60
सामान्य पाठ्यक्रम स्नातक (सभी फ़ैकल्टी), स्नातकोत्तर एवं एम.फिल. (सभी फ़ैकल्टी)	62	55
तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रम	62	55

जहाँ शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सभी अंतिम परीक्षाओं का आयोजन होकर परिणाम घोषित किया गया है, उन सभी प्रकरणों में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण शैक्षणिक सत्र की अंक तालिका प्रस्तुत करने पर तथा उसके आधार पर न्यूनतम अंक प्रतिशत का परीक्षण किया जावे।

यदि कोविड-19 के कारण शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं हुई हो और शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा हेतु क्रमोन्नत कर दिया गया, वहाँ न्यूनतम निर्धारित अंक प्रतिशत का परीक्षण निम्न प्रकार किया जावे:-

1. यदि विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा किसी फॉर्मूला के आधार पर अंको का निर्धारण कर अंक तालिका जारी कर छात्र/छात्राओं को अगली कक्षा हेतु क्रमोन्नत किया गया है/अगली कक्षा हेतु योग्य पाया गया है तो उस अंक तालिका में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम निर्धारित अंक प्रतिशत का परीक्षण कर लिया जावे।
2. यदि सेमेस्टर प्रणाली प्रचलित हो और विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा किसी फॉर्मूला के आधार पर अंको का निर्धारण कर अंकतालिका जारी नहीं कर अगली कक्षा हेतु क्रमोन्नत किया गया हो तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में किसी भी एक सेमेस्टर की परीक्षा होने पर उसमें प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम निर्धारित अंक प्रतिशत का परीक्षण किया जावे।
3. यदि शैक्षणिक सत्र 2020-21 में सेमेस्टर प्रणाली के तहत किसी भी सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ हो अथवा सेमेस्टर प्रणाली प्रचलन में नहीं हो तो ऐसी स्थिति में यदि विद्यालय/महाविद्यालय के द्वारा किसी फार्मूला के आधार पर अंक प्रतिशत निर्धारित कर शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अगली कक्षा में क्रमोन्नत हेतु किया गया है तो ऐसी स्थिति में उस अंक प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम निर्धारित अंक प्रतिशत का परीक्षण किया जाये।
4. यदि विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्राप्त अंक प्रतिशत के निर्धारण किये बिना ही शैक्षणिक सत्र 2021-22 में अगली कक्षा हेतु क्रमोन्नत किया गया है तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम निर्धारित अंक प्रतिशत का परीक्षण किया जावे। यदि इससे पूर्व शैक्षणिक सत्र 2019-20 में भी अंक प्रतिशत के निर्धारण किये बिना ही अगली कक्षा हेतु क्रमोन्नत किया गया हो तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम निर्धारित अंक प्रतिशत का परीक्षण किया जाये।

उक्त सभी परिस्थितियों में संबंधित विद्यालय/महाविद्यालय से शैक्षणिक सत्र 2020-21 में वार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं किए जाने तथा शैक्षणिक सत्र



2021-22 में अगली कक्षा हेतु क्रमोन्नत किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे। यदि शैक्षणिक सत्र 2018-19 में प्राप्त अंक प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम निर्धारित अंक प्रतिशत का परीक्षण किया गया है तो ऐसी स्थिति में शैक्षणिक सत्र 2020-21 एवं 2021-22 में अगली कक्षाओं हेतु क्रमोन्नत किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे।


5. यदि विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा फीस आदि जमा नहीं कराने, विभिन्न न्यायालय प्रकरणों के कारण उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो ऐसे मामलों में छात्रवृत्ति आवेदन पत्रों को निर्धारित अंतिम तिथि तक संबंधित कार्मिक से प्राप्त तो कर लिया जावे परन्तु ऐसे आवेदन पत्रों को वांछित प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक लम्बित रखा जावे तथा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर उनका निर्णय किया जावे।
6. समस्त जिला/यूनिट कार्यालय में अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदनों की सूचना जरिये ई-मेल दिनांक 25.12.2021 की सांय 6 बजे तक निम्न प्रारूप में जरिये ई-मेल adlsp.pmw@rajpolice.gov.in पर अनिवार्य रूप से प्रेषित की जावे। निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र अस्वीकार किए जावें।

क्र. सं.	जिला/यूनिट	कार्मिक का नाम व पद	पदस्थापन का स्थान	छात्र/छात्रा का नाम	कक्षा जिसके लिए छात्रवृत्ति आवेदन किया गया है।
----------	------------	---------------------	-------------------	---------------------	--

- (f) विशेष योग्यता पुरस्कार/मैरिट छात्रवृत्ति परीक्षा परिणाम निकलने के तुरन्त पश्चात् के सत्र में अग्रिम अध्ययन करने की स्थिति में एक बार ही देय होगा।
- (g) किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना/विशेष योग्यता पुरस्कार/मैरिट छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को सामान्य, तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- (h) एक सत्र में एक सदस्य को सामान्य/तकनीकी/विशेष योग्यता पुरस्कार एवं मैरिट/प्रोत्साहन/खेल छात्रवृत्ति को शामिल करते हुए अधिकतम दो बच्चों के लिए प्रत्येक या कुल रूपये 30000 की सीमा तक ही छात्रवृत्ति देय होगी।
- (i) व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थान अथवा ए.आई.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त संस्थान से होनी चाहिए। कम्प्यूटर पाठ्यक्रम Department of Electronics and Accreditation of Computer Course से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।
- (j) यदि कोई छात्र/छात्रा एक ही या दो वर्ष के अन्तराल के बाद नियमित अध्ययन प्रारम्भ करता है तो गत नियमित अध्ययनरत वर्ष की अंकतालिका के आधार पर छात्रवृत्ति देय होगी लेकिन दो वर्ष से अधिक अन्तराल होने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- (k) श्रेणी सुधार हेतु पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने पर प्राप्त होने वाली अंकतालिका के आधार पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- (l) यदि किसी कक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक तक घोषित नहीं होता है तो आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जाए। यदि अंक तालिका प्राप्त नहीं होती है, तो इन्टरनेट से डाउनलोड की गई अंकतालिका प्रेषित करे ताकि आवेदन पत्र स्वीकृति हेतु सुरक्षित रखा जा सके। मूल अंकतालिका की प्रमाणित प्रति निर्धारित समय अवधि में प्राप्त होने पर ही छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाएगी।
- (m) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ कोई दस्तावेज नहीं लगाया जाता है तो ऐसे प्रकरणों को पूर्ति हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि से तीन माह तक ही सुरक्षित रखा जाएगा। उक्त अवधि में पूर्ति नहीं होने पर आवेदन पत्र स्वतः ही निरस्त माना जाएगा।

- (n) किसी छात्र/छात्रा के द्वारा एक विषय में स्नातक कोर्स करने के बाद दूसरा स्नातक कोर्स करने अथवा एक विषय में स्नातकोत्तर कोर्स करने के बाद दूसरे विषय में स्नातकोत्तर कोर्स करने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- (o) साधारण स्नातक के बाद तकनीकी शिक्षा यथा चिकित्सा, इन्जीनियरिंग, विधि स्नातक, बी.एड., बी.फार्मा आदि में प्रवेश लेने पर छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति देय होगी।
- (p) तकनीकी स्नातक होने के बाद किसी भी संकाय से स्नातकोत्तर में प्रवेश पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार एक डिप्लोमा, स्नातक या अन्य कोर्स करने के बाद उसी स्तर पर दूसरा डिप्लोमा या अन्य कोर्स में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति देय नहीं होगी।
- (q) तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के मामलों में निर्धारित कक्षा यथा प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष आदि उत्तीर्ण करने पर विश्वविद्यालय/संस्थान की अंकतालिका की प्रति के आधार पर छात्रवृत्ति देय होगी। यदि सेमेस्टर व्यवस्था है तो शिक्षा सत्र के दोनों सेमेस्टर की अंकतालिकाओं की प्रति प्रस्तुत करने पर ही छात्रवृत्ति देय होगी।
- (r) स्नातक एवं स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर, केवल अंतिम वर्ष के अंको को ही आधार नहीं मानकर, पूर्ण डिग्री कोर्स के अंकों को आधार माना जाएगा।
- (s) उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त पाठ्यक्रम होने की स्थिति में छात्रवृत्ति का निर्धारण पुलिस मुख्यालय द्वारा किया जाएगा।
- (t) यह सुनिश्चित करें कि प्रार्थी/पुलिसकर्मी स्वयं के एक अथवा दो बच्चों के लिए केवल एक ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे, लेकिन एक बच्चा सामान्य अध्ययन एवं दूसरा बच्चा तकनीकी अध्ययन में है, तो अलग-अलग आवेदन किए जाए।
- (u) सामान्य पाठ्यक्रमों के आवेदन पत्र पैरा-4 में अंकित अधिकारीगण अपने अधीनस्थ जिला/यूनिट कार्यालय से प्राप्त कर निर्धारित नियम/शर्तों के तहत जांच के पश्चात् छात्रवृत्ति की स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र में (संलग्न) निर्धारित तिथि से पूर्व जारी करें।
- (v) स्वीकृति के साथ अध्ययनरत/उत्तीर्ण कक्षावार छात्र/छात्राओं का विवरण निर्धारित प्रपत्र 6 एवं 7 में अवश्य संलग्न किया जाए।
- (w) सामान्य पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त आवेदन पत्रों की जांच करवाई जाकर स्वीकृति योग्य मूल आवेदन पत्र मय संलग्न निर्धारित प्रपत्रों की पूर्ति के पश्चात् एम.एस.एक्सल में सूचीबद्ध कर सी.डी. सहित अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राजस्थान, जयपुर को अंतिम तिथि से पूर्व प्रेषित किए जाए।
- (x) निर्धारित आवेदन पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों के प्रारूप संलग्न कर भिजवाए जा रहे हैं जिनकी प्रति आपके अधीनस्थ कार्यालयों को भी अपने स्तर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हुए निर्देशित करें कि वे उनके अधीनस्थ कार्यरत/पदस्थापित/प्रशिक्षण/प्रतिनियुक्ति/अवकाश एवं अन्यत्र ड्यूटी पर गए अधिकारियों/कर्मचारियों को भी उनके द्वारा निर्धारित समय में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु जानकारी प्रदान करें।
- (y) आवेदन पत्रों की जांच का कार्य कार्यालय में पदस्थापित लेखाकर्मियों द्वारा करवाया जाए।
- (z) निर्धारित तिथि के पश्चात् जारी स्वीकृतियां तथा प्रेषित आवेदन पत्र अमान्य होंगे।
- (aa) निर्धारित तिथियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। छात्रवृत्ति स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा।

यह परिपत्र एवं समस्त प्रपत्र राजस्थान पुलिस वेबसाईट
police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।


27/07/2021


(गोविन्द गुप्ता)

उपाध्यक्ष

राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड एवं
महानिदेशक पुलिस,
आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. महानिदेशक, गृह रक्षा/कारागार/एसीबी, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त महानिदेशक पुलिस/अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
3. निदेशक, एस.सी.आर.बी./राजस्थान पुलिस अकादमी/पुलिस दूरसंचार/एफ.एस.एल./राजस्थान इन्टेलीजेंस ट्रेनिंग अकादमी, जयपुर।
4. पुलिस आयुक्त/अतिरिक्त आयुक्त/उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, जयपुर/जोधपुर।
5. समस्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
6. समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
7. प्रधानाचार्य, आर.पी.टी.सी., जोधपुर।
8. समस्त कमाण्डेंट, आर.ए.सी./एम.बी.सी./हाडी रानी बटालियन।
9. समस्त कमाण्डेंट, पी.टी.एस./पी.एम.डी.एस./कमाण्डो ट्रेनिंग स्कूल।
10. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
11. पुलिस अधीक्षक, केन्द्रीय भण्डार पुलिस मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
12. अन्य संबंधित अधिकारी।


27/07/2021
(चन्द्रेश कुमार)

सचिव

राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड एवं
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
आयोजना एवं कल्याण,
राजस्थान, जयपुर।

आवेदन-पत्र

(सामान्य, व्यावसायिक एवं तकनीकी अध्ययन हेतु)

आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करना आवश्यक है

- राज्य कर्मचारी का नाम व उसके पिता का नाम
- पद (बैल्ट नम्बर यदि हो तो)
- वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम व स्थान
- सेवानिवृत्त होने की तिथि
- स्थायी रूप से रहने का घर का पूरा पता
- राज्य कर्मचारी के टेलीफोन नम्बर
- छात्रवृत्ति चाहने वाले छात्र/छात्रा का विवरण :-

क्र.सं.	नाम छात्र/छात्रा	वर्ष 2021-22 की कक्षा जिसमें अध्ययन कर रहा है/रही है	स्कूल/कॉलेज का नाम व पूरा पता जिसमें अध्ययन कर रहा/रही है (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	स्कूल/कॉलेज राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अथवा राजकीय संस्था
1				
2				

- शैक्षणिक योग्यता (आठवीं कक्षा एवं ऊपर का ही विवरण दें)

अ. प्रथम छात्र/छात्रा का नाम:-

क्र.सं.	वर्ष	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	डिविजन	प्रतिशत	यदि छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो तो राशि
1	2020-21						
2	2019-20						
3	2018-19						
4	2017-18						
5	2016-17						

ब. द्वितीय छात्र/छात्रा का नाम :-

क्र.सं.	वर्ष	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	डिविजन	प्रतिशत	यदि छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो तो राशि
1	2020-21						
2	2019-20						
3	2018-19						
4	2017-18						
5	2016-17						

- छात्र/छात्रा के पिता/माता द्वारा प्रमाण-पत्र:- मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन-पत्र में अंकित की गई सूचनाएँ पूर्णतया सही है यदि भविष्य में कभी भी गलत सिद्ध हो जाती है तो:-

अ. मेरे द्वारा ली गई छात्रवृत्ति राशि को वापिस जमा करा दूंगा/दूंगी ।

ब. सक्षम अधिकारियों को मेरे विरुद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही कर कठोर दण्ड देने का पूर्ण अधिकार होगा।

स. उक्त छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत सत्र के दौरान किन्ही कारणों से स्कूल/कॉलेज संस्था छोड़ने की स्थिति में सूचना दूंगा/दूंगी तथा स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि आर.पी.बी.एफ. में वापिस जमा करवा दूंगा/दूंगी ।

संलग्न : स्कूल/कॉलेज का प्रमाण-पत्र मार्कशीट

हस्ताक्षर कर्मचारी
नाम व पद

आवेदन-पत्र (विशेष पुरस्कार हेतु)
आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ति करना आवश्यक है

- राज्य कर्मचारी का नाम व उसके पिता का नाम
- पद (बैलट नम्बर यदि हो तो)
- वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम व स्थान
- सेवानिवृत्त होने की तिथि
- स्थायी रूप से रहने का घर का पूरा पता
- राज्य कर्मचारी के टेलीफोन नम्बर
- छात्र/छात्रा का विवरण :-

क्र.सं.	नाम छात्र/छात्रा	वर्ष 2021-22 की कक्षा जिसमें अध्ययन कर रहा है/रही है	स्कूल/कॉलेज का नाम व पूरा पता जिसमें अध्ययन कर रहा/रही है (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)	स्कूल/कॉलेज राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त अथवा राजकीय संस्था
1				
2				

8. बिन्दु संख्या 1(c) क्र.सं. 1 के अन्तर्गत केवल किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना छात्रवृत्ति के मामले में पूर्ति करें:-

क्र.सं.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	डिविजन	प्रतिशत
1					
2					

9. बिन्दु संख्या 1(c) क्र.सं. 2 के अन्तर्गत केवल राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा छात्रवृत्ति के मामले में पूर्ति करें :-

क्र.सं.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	डिविजन	प्रतिशत
1					
2					

10. बिन्दु संख्या 1(c) क्र.सं. 3 के अन्तर्गत केवल मैरिट छात्रवृत्ति के मामले में पूर्ति करें :-

क्र.सं.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	डिविजन	प्रतिशत	दसवीं/बारहवीं की परीक्षा में मेरिट क्रमांक
1						
2						

11. बिन्दु संख्या 1(c) क्र.सं. 4 के अन्तर्गत केवल विशेष योग्यता पुरस्कार के मामले में पूर्ति करें:-

क्र.सं.	गत वर्ष की परीक्षा	कुल पूर्णांक	कुल प्राप्तांक	श्रेणी	प्रतिशत
1					
2					

12. छात्र/छात्रा के पिता/माता द्वारा प्रमाण-पत्र :- मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन-पत्र में अंकित की गई सूचनाएँ पूर्णतया सही हैं यदि भविष्य में कभी भी गलत सिद्ध हो जाती है तो :-

अ. मेरे द्वारा ली गई छात्रवृत्ति राशि को वापिस जमा करा दूंगा/दूंगी ।

ब. सक्षम अधिकारियों को मेरे विरुद्ध कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही कर कठोर दण्ड देने का पूर्ण अधिकार होगा।

स. उक्त छात्र/छात्रा द्वारा अध्ययनरत सत्र के दौरान किन्ही कारणों से स्कूल/कॉलेज संस्था छोड़ने की स्थिति में सूचना दूंगा/दूंगी तथा स्वीकृत छात्रवृत्ति राशि आर.पी.बी.एफ. में वापिस जमा करवा दूंगा/दूंगी ।

संलग्न : स्कूल/कॉलेज का प्रमाण-पत्र/मार्कशीट एवं मेरिट में आने का प्रमाण पत्र।

हस्ताक्षर कर्मचारी
नाम व पद

आवेदन कर्ता के ध्यानार्थ चैक लिस्ट

1	आवेदन पत्र के सभी कालमो की पूर्ती की गयी है	हां/नही
2	वर्ष 2021-22 में अध्ययनरत कक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न	हां/नही
3	वर्ष 2020-21 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया	हां/नही
4	गत वर्ष 2020-21 की अंकतालिका संलग्न	हां/नही
5	उत्तीर्ण कक्षा सेमेस्टर स्कीम के तहत पास की है तो गत वर्ष 2020-21 की दोनो सेमेस्टर की अंकतालिका संलग्न	हां/नही
6	8वीं से 11वीं तक उत्तीर्ण कक्षा में छात्र के 70 प्रतिशत अंक	हां/नही
7	8वीं से 11वीं तक उत्तीर्ण कक्षा में छात्रा के 60 प्रतिशत अंक	हां/नही
8	आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किया है	हां/नही
9	कर्मचारी द्वारा आर.पी.बी.एफ. से किस-किस छात्रवृति हेतु आवेदन किया है	<ol style="list-style-type: none"> 1. सामान्य 2. तकनीकी 3. विशेष पुरस्कार 4. मैरिट छात्रवृति 5. किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत चयनित छात्र/छात्राओं के लिए 6. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE)

स्कूल/कॉलेज/संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र का प्रारूप

स्कूल/कॉलेज/संस्था का नाम.....

क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/कु.....
पुत्र/पुत्री/श्री/.....शिक्षा सत्र 2021-22 में इस स्कूल/कॉलेज की
 कक्षा.....में दिनांक से नियमित छात्र/छात्रा के रूप में अध्ययनरत है
 । इन्होंने नियमित अध्ययन हेतु स्कूल/कॉलेज की रसीद संख्या.....
 दिनांक.....के द्वारा राशि रूपये.....जमा करा दी है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस छात्र/छात्रा को स्कूल/कॉलेज से उक्त सत्र
 हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही है तथा स्कूल/कॉलेज सरकार द्वारा मान्यता
 प्राप्त संस्था है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्राचार्य/संस्था प्रभारी

(मय मोहर)

अथवा

Name of school/collage/institution.....

NO.

Dated

Certificate

This is to certify that Ms/Mrs.....S,D/O..... is a bonafide
 student of the school/college..... in the academic year 2021-22
 studying in class.....From date.....He/She has paid Rs.....
 towards the school/college fee vide receipt No.....dated.....No
 scholarship is being given to his/her by this institution.

Signature
 Principal/Headmaster/
 Head of institution

कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री.....पद.....मेरे अधीन कार्यरत है, उक्त अधिकारी/कर्मचारी के राजस्थान पुलिस बेनेवेलेन्ट फण्ड की चन्दा राशि की कटौती करली गई/की गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष	कार्यालय का नाम जहाँ से चन्दा कटौती की गई है	चन्दा कटौती बिल/ रसीद नं. एवं दिनांक	चन्दा राशि आयोजना एवं कल्याण शाखा को भिजवाने का पत्रांक एवं दिनांक	मूल वेतन	चन्दा राशि
2021-22					
2020-21					
2019-20					
2018-19					
2017-18					

हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष (मोहर सहित)

1. इनके द्वारा स्वयं के पुत्र/पुत्री को वर्ष 2021-22 की छात्रवृति स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पुत्र/पुत्री का नाम	शिक्षा सत्र 2020-21 में उत्तीर्ण कक्षा	शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्ययनरत कक्षा	अध्ययनरत स्कूल/कॉलेज संस्था का नाम	छात्रवृति की राशि
1					
2					

(अ) शिक्षा सत्र 2020-21 में उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति संलग्न है ।

(ब) शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्ययनरत होने के संबंध में स्कूल/कॉलेज/संस्था निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष (मोहर सहित)

कार्यालय.....

क्रमांक

दिनांक.....

श्री.....पद.....के उक्त पुत्र/पुत्री के संबंध में छात्रवृति स्वीकृति हेतु निर्धारित तथ्य अर्थात् चंदा जमा राशि पूर्व कक्षा निर्धारित श्रेणी में उत्तीर्ण/वर्तमान अध्ययन कक्षा संबंधी तथ्य सही पाये गये है। अतः इन्हें नियमानुसार आर.पी.बी.एफ. से रूपये..... की छात्रवृति देय है ।

शाखा प्रभारी

कनिष्ठ लेखाकार/लेखाकार

कार्यालय अध्यक्ष

प्रपत्र-5

संस्था द्वारा जारी प्रमाण-पत्र का प्रारूप
(केवल बोर्ड की मैरिट में आने वाले के लिए)

संस्था का नाम-----

क्रमांक-----

दिनांक-----

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि छात्र/छात्रा/श्री/कु.-----
-----पुत्र/पुत्री/श्री-----द्वारा कक्षा दसवीं/बाहरवीं वर्ष 2020-21 में उत्तीर्ण की
है। उक्त छात्र/छात्रा द्वारा बोर्ड की राज्य स्तरीय मैरिट सूची में स्थान प्राप्त किया है
जिसका मैरिट क्रमांक-----है। राज्य स्तरीय मेरिट सूची संलग्न है।

संलग्न:- राज्य स्तरीय मेरिट सूची

हस्ताक्षर

संस्था प्रभारी
(मय मोहर)

चैक लिस्ट

1	आवेदन पत्र के सभी कॉलमों की पूर्ती की गयी है	हां/नहीं
2	वर्ष 2021-22 में अध्ययनरत कक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न	हां/नहीं
3	वर्ष 2020-21 का परीक्षा परिणाम घोषित हो गया	हां/नहीं
4	गत वर्ष 2020-21 की अंकतालिका संलग्न	हां/नहीं
5	उत्तीर्ण कक्षा सेमेस्टर स्कीम के तहत पास की है तो गत वर्ष 2020-21 की दोनों सेमेस्टर की अंकतालिका संलग्न	हां/नहीं
6	8वीं से 11वीं तक उत्तीर्ण कक्षा में छात्र के 70 प्रतिशत अंक	हां/नहीं
7	8वीं से 11वीं तक उत्तीर्ण कक्षा में छात्रा के 60 प्रतिशत अंक	हां/नहीं
8	आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत किया है	हां/नहीं
9	कर्मचारी द्वारा आर.पी.बी.एफ. से किस-किस छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया है	<ol style="list-style-type: none"> 1. सामान्य 2. तकनीकी 3. विशेष पुरस्कार 4. मैरिट छात्रवृत्ति 5. किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना अन्तर्गत चयनित छात्र/छात्राओं के लिए 6. राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा (NTSE)

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर

पैरा 4 में अंकित अधिकारियों द्वारा वर्ष 2021-22 के लिये छात्रवृत्ति की राशि स्वीकृत करने एवं आयोजना एवं कल्याण शाखा, पुलिस मुख्यालय, जयपुर को आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु प्रारूप :-

कार्यालय का नाम-----
दिनांक-----

शिक्षा सत्र 2021-22 के लिये छात्रवृत्ति स्वीकृत करने हेतु प्रपत्र का नमूना इस प्रकार है:-

क्र. सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद मय बेल्ट नं.	कार्यालय/यूनिट	छात्र/छात्रा का नाम	पुत्र/पुत्री	उत्तीर्ण कक्षा 2020-21	श्रेणी	अंक प्रतिशत	अध्ययनरत कक्षा 2021-22	निर्धारित दर के अनुसार देय छात्रवृत्ति राशि	कुल स्वीकृत योग राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11
कुल योग											

उक्त प्रपत्र की पूर्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश:-

- उक्त प्रपत्र में सामान्य स्वीकृति एवं आयोजना एवं कल्याण स्तर पर स्वीकृति हेतु प्रेषित आवेदन पत्रों की सूची जिला/यूनिटों की अलग-अलग प्रेषित नहीं कर, सम्पूर्ण रैंज की इकजाई तैयार कर प्रेषित की जावे।
- कॉलम सं. 6 में पुत्र को M तथा पुत्री को F अंकित किया जावे।
- कॉलम सं. 7 से 11 तक की पूर्ति Times New Roman में की जाए।
- उक्त प्रपत्र में निर्धारित कॉलमों के अतिरिक्त कम अधिक नहीं किया जावे।

हस्ताक्षर स्वीकृतकर्ता अधिकारी
मय मोहर

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण, राज0, जयपुर ।
- संबंधित कार्यालय (जो आपके रैंज के अधीनस्थ) आते है ।
- गार्ड पत्रावली/ लेखा शाखा ।

हस्ताक्षर स्वीकृतकर्ता अधिकारी
मय मोहर

